निःशुल्क प्रकाशनार्थ

प्रेस विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य सरकार द्वारा संचालित कक्षा 11–12 और दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शासन द्वारा नवीन प्रस्तावित समय–सारिणी निर्गत की गयी है, जो निम्नवत है:–

क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	संशोधित समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020–21)
1	शैक्षिक सत्र 2021–22 मे जनपद स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानो द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाये) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटो की संख्या,सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंको को मिलाते हुये),पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	18 अगस्त, 2021

उक्त के अतिरिक्त पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त वर्गों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व संस्थान स्तर से दिनॉक 18 अगस्त,2021 तक कक्षा 9–10 के लिये यू0–डाइस (U-DISE) तथा अन्य उच्च कक्षाओं के लिये आइस कोड (AISHE) का अंकन मास्टर डाटा में होना आवश्यक है।

अतः जनपद सिद्धार्थनगर में संचालित पूर्वदशम एवं दशमोत्तर संस्थानो के प्राचार्य एवं प्रधानाचार्यो को निर्देशित/सूचित किया जाता है कि उक्त योजनान्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत संशोधित समय सारिणी में दिये गये निर्देशो के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप समयान्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर

पत्रांक 148 /पि0व0क0/छात्रवृत्ति/2020–21 दिनांक 11 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4. उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण बस्ती, मण्डल बस्ती।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध सहित कि कृपया अपने स्तर से भी सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित/संसूचित करने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि छात्रहित में इसे समस्त हिन्दी/उर्दू समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि छात्रहित में उक्त विज्ञप्ति को जनपद सिद्धार्थनगर की बेवसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,सिद्धार्थनगर।
9. समस्त सम्बन्धित प्रधानाचार्य, जनपद अवस्थित शिक्षण संस्थायें जनपद सिद्धार्थनगर।
10. नोटिस बोर्ड कार्यालय/कलेक्ट्रेट/विकास भवन आदि पर चस्पा हेतु।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।